वन भूमि का मूल्य और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट जमा करने का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर,डोड़हर,अधौरा,मिटिहिनी,खैरी,सिरसोती,झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ़०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया ।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ़०नं० 8-412/1989-एफ़०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम मे दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन मे एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग मे लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । इस संबंध मे भारत सरकार / उ०प्र० सरकार द्वारा दिशा निर्देशित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारण करा कर प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट जो भी होगा उसे एनटीपीसी रिहंद परियोजना वन विभाग के पक्ष मे जमा करने का वचन बद्धता प्रस्तुत करता है ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनकूट

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से

(अनित कुमार)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223